न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 100/2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

.....*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री योगेश बंसल पुत्र श्री पुरूषोत्तम बंसल, मैसर्स श्री पी.एस. स्वीस्ट्स, पिपलिया बाजार चौराहा, ब्यावर।
2. मैसर्स श्री पी.एस. स्वीस्ट्स, पिपलिया बाजार चौराहा, ब्यावर।

.....*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (।।) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : श्री वैभव पारीक वकील अप्रार्थी की ओर से।

—: आदेश :—

दिनांक— 28.04.2017

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिंनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब्स्टेण्डर्ड गुलाब जामुन (घी में निर्मित) का उपयोग कर खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 20.03.2016 को 12.00 पी.एम. खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स श्री पी.एस. स्वीस्ट्स, पिपलिया बाजार चौराहा, ब्यावर पर पहूँचे श्री योगेश बंसल पुत्र श्री पुरूषोत्तम बंसल जी मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को गुलाब जामुन (घी में निर्मित), बर्फी, लड्डू आदि

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

तैयार कर विक्रय कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान में 5 किलोग्राम गुलाब जामुन (घी में निर्मित) एक भगोने में आम जनता को बिक्री हेतु रखे हुए थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को गुलाब जामुन (घी में निर्मित) में मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 2 किलो ग्राम गुलाब जामुन (घी में निर्मित) वास्ते नमूना जॉच हेतु 480/– रूपयें श्री योगेश बंसल पुत्र श्री पुरूषोत्तम बंसल को नगद देकर गवाह श्री अजय मोयल तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी योगेश बंसल पुत्र श्री पुरूषोत्तम बंसल को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा गुलाब जामुन (घी में निर्मित) को चार अलग–2 शीशी में बराबर–2 मात्रा में डालने के पश्चात प्रत्येक शीशी में 40–40 बून्द फार्मलीन परीक्षक डालकर जारों को एयरटाईट बन्द करने के पश्चात चारों नमूनों पर लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक ए/1293 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुॅचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016/4246 दिनांक 27.04.2016 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस./135/एक्ट/2016/185 दिनांक 01.04.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच उपयोग में लिया गया गुलाब जामुन (घी में निर्मित) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 06.09.2016 पेश किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 06.09.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी योगेश बंसल पुत्र श्री पुरूषोत्तम बंसल को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 28.04.2017 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 28.04.2017 को अप्रार्थी स्वयं योगेश बंसल पुत्र श्री पुरूषोत्तम बंसल जरिये वकील उपस्थित हुये उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। वकील अप्रार्थी ने उन पर लगाये गये आरोपो को सिरे से खारिज करते हुए जवाब नोटिस में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तर्क स्पष्टतः दुर्नियोजित, गलत, भ्रामक एवं सारहीन है। उनका कथन है कि अप्रार्थी द्वारा एफ.एस.एस.ए.। के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन करवा कर ही माल बेचा जा रहा था तथा बेचा जाने वाला माल अप्रार्थी की जानकारी में सही व स्टेण्डर्ड प्रोडक्ट था। उनका कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया सेम्पल होमोजिनियस तथा रिप्रेजेन्टेटिव नहीं है। फूड सेफ्टी रूल्स के अनुसार सेम्पल लेने

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

का प्रोसेस फार्म 5 ए में मेन्शन करना अनिवार्य है जो कि नहीं किया गया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर गुलाब जामुन को Food Safety and Standard (Food Products and Food Additive) regulation 2011 के अनुसार सबस्टेण्डर्ड होना बताया गया है जबकि गुलाब जामुन एक प्रोपराईटरी फूड है, जिसका कि कोई मानक अथवा स्टेण्डर्ड इस रेगुलेशन में डिफाईन नहीं है, तो जिस प्रोडक्ट का मानक ही कानून में नहीं दिया गया है, वह सबस्टेण्डर्ड हो ही नहीं सकता। उन्होंने यह भी कथन किया कि रिपोर्ट के अनुसार विक्रय होने वाला प्रोडक्ट गुलाब जामुन है, किन्तु उसका अवलोकन घी के अनुसार किया गया है तथा विक्रय योग्य प्रोडक्ट में फेट घी के लिए बताये गये मानक से कम होना पाया गया है जबकि अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये जाने वाला प्रोडक्ट घी था ही नहीं बल्कि प्रोपराईटरी फूड है। एफ.एस.एस.ए.। 2006 की धारा 49 के अनुसार पेनल्टी का अमाउन्ट विक्रय हेतु रखे गये माल की कीमत से अधिक नहीं हो सकता। मौके पर विक्रय हेतु 5 किलोग्राम गुलाब जामुन उपलब्ध थे जिनकी 280 रूपये प्रति किलो की दर से राशि 1480 रूपये मात्र होती है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के किसी भी नियम का उल्लघंन जानकारी के साथ नहीं किया गया है तथा अप्रार्थी नियमानुसार किसी भी जुर्माने के लिए भागीदार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

हमने वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी की फर्म से लिया गया गुलाब जामुन का सैम्पल खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला द्वारा की गई जांच अनुसार मानक स्तर का नहीं पाया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर द्वारा उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2016/4245 दिनांक 27.04.2016 से जरिये रजिस्टर्ड अप्रार्थी को नियम 2.4.2(6) के तहत इस आशय के साथ प्रेषित की गई थी कि यदि उक्त रिपोर्ट से अंसतुष्ट है तो 30 दिवस में पुनः जांच हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे किन्तु अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। इससे जाहिर है कि अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड गुलाब जामुन का विक्रय किया गया है अतः उक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी श्री योगेश बंसल को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नियम और विनिमय 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी श्री योगेश बंसल पर राशि रूपये अक्षरे पांच हजार (5000/–) रूपये मात्र शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति राशि न्याय, निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 28.04.2017 के एक माह के अन्दर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner